

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक  
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,  
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान  
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी  
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन  
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 383]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 22 जुलाई 2010—आषाढ़ 31, शक 1932

परिवहन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 जुलाई 2010

सूचना

क्र. एफ-22-19-10-आठ.—मध्यप्रदेश मोटरयान नियम, 1994 में संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे राज्य सरकार मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 111 की उपधारा (1) तथा उपधारा (2) के खण्ड (क) के साथ पठित धारा 96 की उपधारा (2) के खण्ड (चौदह) एवं (पन्द्रह) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त अधिनियम की धारा 212 की उपधारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित किए गए अनुसार उन समस्त व्यक्तियों की, जिनके कि उससे प्रभावित होने की संभावना है, जानकारी के लिए एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है और एतद्वारा, यह सूचना दी जाती है कि “मध्यप्रदेश राजपत्र” में इस सूचना के प्रकाशन होने की तारीख से 30 दिन की समाप्ति पर उक्त प्रारूप पर विचार किया जाएगा.

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर, जो उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि के पूर्व प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग, वल्लभ भवन, मंत्रालय, भोपाल को कक्ष क्रमांक 434 में कार्यालयीन समय में प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा.

संशोधन का प्रारूप

उक्त नियमों में,—

(1) नियम 2 में, खण्ड (ज) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“(जक) “शयन यान” (स्लीपर कोच) से अभिप्रेत है कोई, लोक सेवायान, जो शायिका से युक्त हो और जिसकी कुछ शायिकाएं कुर्सी के रूप में परिवर्तित की जा सकती हों तथा ऐसे यान की क्षमता चालक तथा परिचालक को छोड़ कर छह से अधिक यात्रियों को वहन करने की हो और यह नियम 155-क में विहित विनिर्देशों के अनुरूप हो;”

(2) नियम 155 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“155-क. शयनयान (स्लीपर कोच) के लिए विशेष उपबंध.

(1) शयनयान (स्लीपर कोच) में शायिका की व्यवस्था.— (क) यान में टू टायर पद्धति सहित शायिका उपलब्ध करवाई जानी चाहिए, प्रत्येक शायिका की लम्बाई 1850 मि.मी. और चौड़ाई 760 मि.मी. से कम नहीं होगी, प्रत्येक शायिका की मोटाई 75 मि.मी. से कम नहीं होगी, शायिका पर्याप्त मजबूत होनी चाहिए ताकि यात्रियों के वजन को सहन कर सके.

(ख) वाहन में गलियारे की चौड़ाई 450 मि.मी. से कम नहीं होगी.

(ग) दो शायिकाओं को बीच से बांटने वाली बनावट की चौड़ाई 25 मि.मी. से कम नहीं होगी.

(घ) नीचे की शायिका फर्श से न्यूनतम 450 मिली मीटर की ऊंचाई पर लगी होगी, नीचे की शायिका बैठने के स्थान के रूप में परिवर्तित की जा सकती हो.

(ङ) नीचे की शायिका पर बैठने वाले यात्रियों के सिर के ऊपर कुल खाली स्थान 850 मि.मी. से कम नहीं होगा.

(च) ऊपर की शायिका के लिए सिर के ऊपर कुल जगह छत के किनारों की जालियों को छोड़कर 650 मि.मी. से कम नहीं होगी.

(छ) नीचे तथा ऊपर की शायिकाओं के लिए अलग-अलग खिड़कियां उपलब्ध कराई जाएंगी तथा निचली खिड़की की पट्टिका फर्श से न्यूनतम 725 मि.मी. की ऊंचाई पर होगी.

(ज) ऊपर वाली शायिका के लिए सीढ़ियां दी जाएंगी तथा न्यूनतम 250 मि.मी. की ऊंचाई पर लगी होंगी और प्रत्येक सीढ़ी के बीच की दूरी 300 मि.मी. से अधिक नहीं होगी.

(झ) आमने-सामने की प्रत्येक शायिका के बीच की दूरी न्यूनतम 300 मि.मी. होगी.

(ञ) ऊपर की शायिका पर आरामदेह स्थिति में रहने के लिए सुविधाजनक ऊंचाई पर सहारा देने के लिए एक हत्था उपलब्ध कराया जाएगा.

(ट) किसी उपयुक्त स्थान पर यान परिचारक/प्रबंधक के अतिरिक्त गलियारे में कोई सीट/शायिका लगाने की अनुज्ञा नहीं होगी.

(ठ) प्रत्येक शायिका के साथ एक साफ कपड़े की चादर उपलब्ध करायी जायेगी जो उपलब्ध कराए जाने के लिए साफ और स्वच्छ स्थिति में रखी जाएगी.

(ड) प्रत्येक यात्री को एक तकिया तथा लिलेन की दो साफ चादरें उपलब्ध करायी जाएंगी (एक बिछाने के लिए तथा दूसरी ओढ़ने के लिए).

(ढ) ऊपर की शायिका के दोनों ओर नरम वस्तु से ढके हुए सुरक्षा गार्ड उपलब्ध कराए जाएंगे.

(ण) प्रत्येक कूपे तथा खिड़कियों के लिए खिसकाने वाले पर्दे उपलब्ध कराए जाएंगे.

(त) प्रत्येक कूपे के लिए बिजली से चलने वाली घंटियां उपलब्ध करवायी जाएंगी.

(थ) गलियारे में तथा कूपे में भी नाइट लेम्प आवश्यक रूप से उपलब्ध करवाए जाएंगे, अच्छा होगा कि यह लेम्प नीले रंग के हों.

(द) चालक के ठीक पीछे लगे चालक को अलग करने वाली जगह पर खिसकाने वाली खिड़कियां उपलब्ध कराई जाएंगी.

(ध) प्रत्येक शायिका के लिए, सुविधाजनक स्थान पर पढ़ने हेतु अलग से लाईट उपलब्ध कराई जाएगी.

(2) अन्य विशिष्टियां.—(क) खड़े होने के लिए ऊंचाई यान की आंतरिक ऊंचाई 1850 मि.मी. से कम नहीं होगी.

(ख) फर्श—ऐसे लोक सेवा यान के लिए फर्श में लगने वाली सामग्री ध्वनिनिरोधी, फिसलनभेदी तथा धोई जा सकने वाली होगी, फर्श यात्रियों के लिए सुरक्षित होगा तथा रबर या सिंथेटिक, चटाई या कारपेट से ढका होगा, सभी जोड़ उपयुक्त पैकिंग सामग्री द्वारा धूल निरोधी बनाए जाएंगे.

(ग) छत, आघात रोकने के लिए नर्म वस्तु या वैसी ही अन्य वस्तुओं जैसे ए.बी.एस. प्लास्टिक से बनी छत की सीलिंग उपलब्ध कराई जाएगी.

(3) प्रकीर्ण. (विविध).—(क) ऐसे लोक सेवा यान में वेवलर सस्पेंशन या न्यूमेटिक सस्पेंशन लगे होंगे.

(ख) ऐसे लोक सेवा यान में यात्रियों की देखरेख के लिए चालक/चालकों या परिचालक (कंडक्टर) के अतिरिक्त, परिचारक/प्रबन्धक होंगे.

(ग) मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्रमांक 25 सन् 1991) के अधीन कराधान प्रयोजन हेतु शयन यान में बैठने की क्षमता की गणना निम्नानुसार की जाएगी:—

(एक) ऊपर की प्रत्येक गैर-संपरिवर्तनीय शायिका को एक सीट के रूप में गिना जाएगा.

(दो) यदि नीचे वाली शायिकाएं स्थिर शायिकाएं हैं तो वे एक सीट के रूप में गिनी जाएंगी किन्तु यदि वे खुलने वाली तथा सीटों के रूप में परिवर्तित हो जाने वाली सीटें हैं तो वे बैठने वाले यात्रियों की पृथक सीट मानी जाएंगी.".

#### NOTICE

No.F 22-19-10-VIII.—The following draft of amendment in the Madhya Pradesh Motor Vehicles Rules, 1994, which the State Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (a) of sub-section (2) of Section 111 read with clause (xiv) and (xv) of sub-section (2) of Section 96 of the Motor Vehicles Act, 1988 (No. 59 of 1988), is hereby published as required by sub-section (1) of Section 212 of the said Act for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration on the expiry of 30 days from the date of publication of this notice in the Madhya Pradesh Gazette.

Any objection or suggestion which may be received by the Principal Secretary, Government of Madhya Pradesh, Transport Department during office hours at Room No. 434, Vallabh Bhawan, Mantralaya, Bhopal from any person with respect to the said draft before the period specified above will be considered by the State Government.

#### DRAFT OF AMENDMENT

In the said rules,—

(1) In rule (2), after clause (h), the following clause shall be inserted, namely:—

" (ha) " Sleeper Coach" means a public service vehicle fitted with sleeper berth and some of the sleeper berth may be convertible as seats and such vehicle should be capable of carrying more than six passengers, excluding the driver and conductor and it should conform to the specifications prescribed in rules 155 A; "

(2) After rules 155, the following rule shall be inserted, namely:—

#### " 155 A. Special provisions for Sleeper Coach.

(1) **Sleeper berth arrangements in Sleeper Coach.**— (a) The sleeper berth should be provided in vehicle with two tire system. The length of each sleeper berth shall not be less than 1850 m.m. and width not less than 760 m.m. The thickness of each sleeper berth shall not be less than 75 m.m. The sleeper berth should be strong enough to tolerate weight of the passengers.

(b) The width of the gangway shall not be less than 450 m.m.

(c) The width of the structure partition shall not be less than 25 m.m. between the two sleeper berth.

(d) The lower sleeper berth shall be fixed at a minimum height of 450 m.m. from the floor. Lower sleeper berth may be made convertible into seats.

(e) The clear head room for the seating passengers at lower sleeper berth shall not be less than 850 m.m.

(f) The clear head room for upper sleeper berth shall not be less than 650 m.m. except at the side curves of the roof.

(g) Individual windows shall be provided for lower and upper sleeper berths and the lower windows shall be at minimum height of 725m.m. from the floor.

(h) Ladder step for upper sleeper berth shall be provided and shall be fixed at a minimum height of

250m.m. and the distance between each step shall not be more than 300 m.m.

- (i) The distance between the sleeper berth facing each other shall be a minimum of 300 m.m.
- (j) An assist handle shall be provided for comfortable occupation of the upper sleeper berth at a convenient height.
- (k) No seat/sleeper berth shall be permitted to be fitted in the gangway except a seat for Coach Attendant/Manager at a suitable place.
- (l) Each sleeper berth shall be provided with neat fabric covering which shall be capable of being kept in a clean and sanitary condition and they will be kept so.
- (m) One pillow and two neat linens shall be provided to each passenger (one for wrapping and another for spreading).
- (n) Safety guards covered with soft material on either side of the upper berth shall be provided.
- (o) Sliding curtains shall be provided for each coupe and windows.
- (p) Electrically operated calling bells shall be provided for each coupe.
- (q) Night lamps preferably in blue colour shall be provided in the gangway and also in coupe.
- (r) Sliding windows shall be provided to the driver partition placed immediately behind the driver.
- (s) Individual reading light at convenient location for each sleeper berth shall be provided.
- (2) **Other particulars.**—(a) Headroom. The internal height of the vehicle shall not be less than 1850 m.m.
- (b) Flooring. Flooring material for such public service shall be sound proof, antiskid and washable. The floor shall be safe for the passengers and covered with rubber or synthetic, matting or carpets. All joints shall be dust proof by suitable packing material.
- (c) **Roof.** Roof ceiling shall be provided with soft material or equivalent materials like A.B.S. plastic to prevent impact.
- (3) **Miscellaneous.**—(a) Such public service vehicle shall have waveler suspension or pneumatic suspension.
- (b) Such public service vehicle shall have attendant/manager to take care of the passengers in addition to the driver/drivers or conductor.
- (c) For the purpose of taxation under the Madhya Pradesh Motoryan Karadhan Adhiniyam, 1991 (No. 25 of 1991), Seating capacity of the sleeper coach will be calculated as follows:—
  - (i) Every nonconvertible sleeper berth in the upper tier will be counted as one seat.
  - (ii) If the lower tier sleeper berth are fixed sleepers they will be counted as one seat, but if they are folding and convertible as seats then they will be counted as if they are individual seats meant for seating passengers.''

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

दिलीप राज द्विवेदी, उपसचिव.